

राजस्थान - सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0जयपुर।
क्रमांक :- सीबी/सीएस/जे-179/2025/ दिनांक :

-: आदेश :-

डॉ0 जुल्फिकार अहमद काजी, तत्कालीन समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- उदयपुर शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक(क-3/शिका.) विभाग, राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक प. 2(2)(56)का/क-3/शिकायत/2024 दिनांक 22.08.2024 जो कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज पंजीबद्ध अपराध संख्या 170/2024 के सम्बन्ध में निलम्बित करते हुए मुख्यालय निदेशालय में किया गया है।

डॉ0 जुल्फिकार अहमद काजी, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- उदयपुर के सेवानिवृत्त राज्यादेश दिनांक 22.02.2024 के अनुसार, जिनकी जन्मतिथि 22.01.1963 है, राज्य सेवा में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर आज दिनांक 31.01.2025 को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा (निलम्बन अवस्था में)से कार्यमुक्त किया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।
दिनांक : 31-01-2025

क्रमांक :- सीबी/सीएस / जे-179/2025/ 25
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक(क-3/शिका.) विभाग, राज0 जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग, राज0 जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान-जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-उदयपुर।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
6. डॉ0 जुल्फिकार अहमद काजी, तत्कालीन समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- उदयपुर हाल निलम्बित मुख्यालय।
7. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित संस्थापन/डीपीसी/एटीसी अनुभाग मुख्यालय।
8. रक्षित पत्रावली।

9. उपरोक्त अधिकांश उक्त आदेश विभागीय
साईड पर आपलॉस वगैरे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।